बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–1प० / स्था0–03–08 / 2020 / 403 / पं०रा०पटना,दिनांक 30 / 6 / 2025

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों / मुख्यालय में पदस्थापित बिहार पंचायत सेवा के निम्नांकित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी / व्याख्याता–सह–सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–23 / 2025–ERS(Vol.II), दिनांक–24.06.2025 में निहित शर्तों / प्रावधानों के आलोक में स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम–05 में अंकित रिक्त प्रखंड कार्यालय / जिला में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०सं०	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार झा	मधुबनी	परिहार, सीतामढ़ी	**हनुमान नगर, दरभंगा**	
2	श्रीमती काजोल कुमारी	नालन्दा	मेसकौर, नवादा	**कांटी, मुजफ्फरपुर**	अभ्यावेदन के आधार पर
3	श्रीमती संगीता कुमारी	लखीसराय	बख्तियारपुर, पटना	**तेघड़ा, बेगूसराय**	
4	श्रीमती दीप शिखा	भागलपुर	रजौन, बांका	**बलिया, बेगूसराय**	अभ्यावेदन के आधार पर
5	श्री राजीव रंजन	मुजफ्फरपुर	आदापुर, पूर्वी चम्पारण	**मधेपुर, मधुबनी**	
6	श्री सुजीत कुमार	समस्तीपुर	छौराही, बेगूसराय	**गौड़ाबौराम, दरभंगा**	
7	श्री रमेश कुमार दिवाकर	मुजफ्फरपुर	फुलवारीशरीफ, पटना	**हायाघाट, दरभंगा**	
8	श्री रौनक कुमार	मुंगेर	शम्भूगंज, बांका	**शाम्हो अकहा कुरहा, बेगूसराय**	
9	श्री मनोज कुमार साव	नालन्दा	डुमरा, सीतामढ़ी	**कलुआही, मधुबनी**	
10	श्री कालीचरण	सहरसा	सुपौल, सदर	**जयनगर, मधुबनी**	

2. उक्त सूची में सम्मिलित वैसे प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी / व्याख्याता जो मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित निर्वाचन कार्य कर रहे है, वे उक्त कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् ही नये पदस्थापन स्थल पर योगदान करेंगे।

3. उपर्युक्त प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है नवपदस्थापित प्रखण्ड कार्यालय के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के समक्ष योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी इनका योगदान स्वीकृत कर विभाग को सूचित करेंगे।

4. संबंधित व्याख्याताओं को निदेशित किया जाता है कि पारगमन अवधि का उपभोग किये बगैर अविलम्ब नवपदस्थापित कार्यालय के जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान में योगदान करते हुए पदस्थापन प्रखंड का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी उनका योगदान स्वीकृत कर विभाग को सूचित करेंगे।

5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपर्युक्त आदेश से स्थानांतरित अपने जिलों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/व्याख्याताओं को नवपदस्थापन प्रखण्ड कार्यालय/जिला में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपर्युक्त आदेश से स्थानांतरित पदाधिकारियों का माह जुलाई, 2025 से वेतन का भुगतान संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी–सह–प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

7. यदि उक्त स्थानांतरण के कारण किसी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी/व्याख्याता का नाम किसी प्रखण्ड कार्यालय में अंकित नहीं हो, तो वे मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

8. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–04–सह–पठित ज्ञापांक–109, दिनांक–02.01.2025, कार्यालय आदेश संख्या–14–सह–पठित ज्ञापांक–429, दिनांक–09.01.2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या–37–सह पठित ज्ञापांक–6614, दिनांक–27.05.2025 द्वारा विभाग में प्रतिनियुक्त प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों/व्याख्याता का प्रतिनियुक्ति यथावत् बना रहेगा।

9. जिन प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों/व्याख्याता का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, उन्हें स्थानांतरण भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–08/2020/8200/पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/2025

प्रतिलिपि–संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–08/2020/8200/पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–08/2020/8200/पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 11731 दिनांक 27.06.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प/स्था–03–08/2020/8200/पं०रा० पटना, दिनांक 30/6/2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव